मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक बी–1/05/2015/2/पांच(5).— भोपाल, दिनांक 06 फरवरी, 2015

यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन किये बिना तत्काल किया जाना चाहिये;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ङ), (च) तथा (ज) एवं उपधारा (3) के परंतुक के साथ पठित धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमाक (23) बी–1–74–97–वा.का.–पांच, दिनांक 7 जून, 2001 एवं अधिसूचना क्रमांक (14) बी–1–36–2009–2–पांच, दिनांक 29 सितंबर, 2010 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक (14)–पांच–पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी, 1960 में प्रकाशित रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात :–

1. दुकानों की अवस्थिति –

(1) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 100 मीटर या उससे कम दूरी पर फुटकर मदिरा दुकान को स्थापित/अवस्थित नहीं किया जायेगा। साथ ही ;

(अ) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग से दृश्यमान किसी भी मदिरा दुकान का प्रवेश द्वार राजमार्ग की ओर नहीं होगा, बल्कि मदिरा दुकान इस प्रकार स्थापित होगी कि मदिरा दुकान की पीठ राजमार्ग की ओर रहे।

(ब) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग से किसी भी मदिरा दुकान पर लगा हुआ साईन बोर्ड, दृश्यमान नहीं होगा।

(स) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग पर किसी भी मदिरा दुकान को इंगित/सूचित किये जाने वाला साईन बोर्ड भी दृश्यमान नहीं होगा :

परन्तु उपनियम–(1) के उपबंध किसी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत) की परिसीमा में स्थित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के खण्ड/भाग में स्थापित /अवस्थित मदिरा दुकान पर लागू नहीं होंगे।

(2) किसी फुटकर मदिरा दुकान को परिसर में मदिरा का उपभोग करने के लिए अनुज्ञप्ति देते समय निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जायेगा, यदि दुकान –

(क) किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थान के, जहां श्रमिकों का विशाल समूह नियोजित हो, आसपास में है, तो मिल के स्वामी या श्रमिकों के ऐसे नियोजक को, ऐसी दुकान खोलने के प्रस्ताव पर उनकी आपत्तियों को, कथित करने का अवसर दिया गया है।

(ख) किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्पताल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की किसी कालोनी, किसी श्रमिक कालोनी या किसी बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन के निकट है या जहां राज्य सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की गई है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी दुकान, ऐसे स्थान के 50 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है।

(3) दुकान की स्थिति ऐसी होगी कि उसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति देखे जाने से बच न सके, परन्तु वह ऐसी सुस्पष्ट भी नहीं होगी कि गुजरने वाले व्यक्ति उस ओर ध्यान देने को बाध्य हो जाएं।

(4) यदि ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के पश्चात्, किसी भी समय उप नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई संस्था (शैक्षणिक या धार्मिक),

अस्पताल या बस स्टैण्ड आदि, उस दुकान से पचास मीटर या उससे कम की दूरी के भीतर अस्तित्व में आते हैं तो परिसर में उपभोग के लिए अनुज्ञप्त कोई मदिरा दुकान, उप नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर स्थित नहीं समझी जाएगी :

परन्तु उपनियम (2) के खण्ड (क) एवं (ख) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:–

(क) ऐसी परिसर में उपभोग हेतु अनुज्ञप्त मदिरा दुकान, जो **तारीख 31 मार्च, 2010** को पिछले तीन वर्षों से वर्तमान स्थल पर विद्यमान रही हो।

(ख) प्रारूप एफ.एल.–1 बी में अनुज्ञप्ति धारण करने वाली दुकान को, यदि वे उप नियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करती हों।

स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजनों के लिए –

(क) **"शैक्षणिक संस्था"** से अभिप्रेत है किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यता प्राप्त कोई पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या सेकण्डरी स्कूल और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय, किन्तु इसमें कोचिंग संस्था सम्मिलित नहीं है।

(ख) **"धार्मिक संस्था"** से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो किसी धर्म की प्रोन्नति के लिए हो और उसमें सम्मिलित है ऐसा मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरजाघर या सार्वजनिक धार्मिक पूजा का अन्य स्थान, जिनका मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता हो, या उसके स्वामित्व में हो और उसमें अन्य ऐसी धार्मिक संस्थायें सम्मिलित होंगी, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(ग) उप नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दूरी का माप, दुकान के प्रवेश के मध्य बिन्दु से ऐसे निकटतम मार्ग से किया जायेगा जिससे कोई पदाति (पिडेसट्रिअन) –

(एक) यदि कोई अहाता दीवार है तो संस्था के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो संस्था के निकटतम प्रवेश के मध्य बिन्दु तक, या

(दो) यदि कोई अहाता दीवार है तो, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेण्ड, स्टेशन या डिपो के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो, ऐसे बस स्टेण्ड, स्टेशन या डिपो की सीमा के निकटतम बिन्दु तक साधारणतः पहुंचता है।

(घ) **"बस स्टैण्ड"** से अभिप्रेत है यथास्थिति, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम या नगरपालिक निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय का बस स्टैण्ड,

(ड) **"अस्पताल"** से अभिप्रेत है राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी पूर्त (चेरीटेबल) संस्था द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या उपचर्या गृह जहां 10 रोगियों की भर्ती तथा उपचार के लिए कम से कम 10 बिस्तरों की सुविधायें उपलब्ध हों।

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2015

क्र. बी-1-05-2015-2-पांच(5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-05-2015-2-पांच-(5) दिनांक 6 फरवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

No. B-1 - 5 / 2015 / 2 / v (5) .— **Bhopal, Dated 06 February 2015**

WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Rule of General Application should be made at once without previous publication in the official Gazette;

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (f) and (h) of sub-section (2), read with proviso to sub-section (3) of Section 62 and section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in supersession of this department's Notification No (23) B-1-74-97-CTD-V dated 7th June, 2001 and Notification No. (14) B-1-36-2009-2-V dated 29th September, 2010, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Rules of General Application published under Notification No. 14-V-SR, dated 7th January, 1960 namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 1, the following rule shall be substituted, namely :-

1. **Location of shops-**

(1) No liquor shop shall be situated/located at a distance of 100 meter or less from the central point of any national highway or

any state highway, Besides;

(a) Any liquor shop visible from any national highway or any state highway would not face the entrance to highway, but the shop would be so located as it's back portion will be towards the highway.

(b) Signboard on any liquor shop shall not be visible from any national highway or any state highway.

(c) Any signboard indicating to or informing about liquor shop shall also not be visible on any national highway or any state highway:

Provided that, the provisions of sub-rule (1) shall not be applicable to a liquor shop situated/located in section/part of any national highway or any state highway within the limits of any Urban body (Municipal Corporation, Municipality and Nagar Panchayat).

(2) At the time of granting license to a retail shop for the consumption of liquor on the premises, the following conditions shall be considered, if the shop is:-

(a) In the neighborhood of a mill, factory or other place where a large body of labourers is employed, the mill owner of such employer of labourers an opportunity of stating their objections to the proposal for opening of such shop has been given.

(b) near a religious or any educational institution, a hospital, a colony of members of Scheduled Castes, a labour colony, or a bus stand, railway station or where the sanction of the State Government is obtained except when such shop is situated at a distance of 50 meters or more from such place.

(3) The position of a shop shall be such that no person entering it shall escape observation, but it shall not be so prominent as to compel attention of persons passing by.

(4) Any liquor shop licensed for consumption on the premises shall not be deemed to be situated within prohibited distance referred to in clause (b) of sub-rule (2), if at any time after such license is granted, any institution (education or religious), hospital, or bus stand etc. referred to in clause (b) of sub-rule (2) comes into existence within a distance of fifty meters or less from that shop :

Provided that the provisions of this rule shall not apply—

(a) to a shop which is existing at the present site for the last three years as on 31 March 2010,

(b) to shops holding license in form F.L.1-B if they comply with the provisions of sub-rule (3).

Explanation.- for the purposes of this rule –

(a) **"Educational institution"** means any pre-primary, primary or secondary school managed or recognized by any local authority or the State Government or the Central Government and any college affiliated to any University established by law, but does not include any coaching institution.

(b) **"Religious institution"** means an institution for the promotion of any religion and includes temple, math, mosque, church or other place of public religious worship which is managed or owned by a public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 or any other enactment for the time being in force and shall include such other religious institutions as the State Government may by order specify in this behalf.

(c) The distance referred to in clause (b) of sub-rule (2) shall be measured from the mid point of the entrance of the shop along the nearest path by which a pedestrian ordinarily reaches,--

(i) The mid point of the nearest gate of the institution if there is a compound wall and if there is no compound wall the mid point of the nearest entrance of the institution, or

(ii) The mid point of the nearest gate of the Bus stand, Station or depot or Madhya Pradesh State Road Transport Corporation if there is a compound wall and if there is no compound wall the nearest point of the boundary of such Bus stand, station or depot.

(d) **"Bus Stand"** means bus stand of MPSRTC or of Municipal Corporation or any other local body as the case may be.

(e) **"Hospital"** means any hospital or nursing home run by State or Central Government or by any "Charitable institution", where at least facilities of 10 Beds are available for admission and treatment of 10 patients.

2. This Amendment / notification shall come into force from 1st April, 2015

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.